REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 6 | MARCH - 2018

बिहार के वित्तीय संसाधन में बिक्री कर की भागीदारी

माधवी कुमारी
पिता– स्व. विजय भगत
मु0– मशरफ बाजार,
थाना– नगर थाना
पो0– लालबाग, दरभंगा,

शोध सारांश

केंद्रीय करों के हिस्से में मुख्यतः आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर के हिस्से शामिल होते हैं जिनका संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पाँच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। राज्य सरकार के गैर–कर राजस्वों का संग्रहण सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है। इनमें विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध–व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों, उनसे प्राप्त लाभांश एवं मुनाफे, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं के लिए, केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग–अलग अनुदान होते हैं। गैर–योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदान के साथ–साथ प्राकृतिक आपदा विषयक राहत और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

Keywords: केन्द्रीय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, लाभांश, अनुदान।

परिचय

बिक्री कर का राज्य सरकार के अपने राजस्व में सर्वाधिक योगदान तो है ही, इनकी वृद्धि दर भी काफी नियमित रही है। लेकिन 2012–13 से 2017–18 के बीच सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर (40.2 प्रतिशत) राज्य उत्पाद शुल्क द्वारा दर्ज की गई और उसके बाद बिक्री कर (32.5 प्रतिशत) तथा स्टांप एवं निबंधन शुल्कों द्वारा (29.7 प्रतिशत)। वर्ष 2016–17 में बिक्री कर 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और वित्तवर्ष 2017–18 में कर की दरों कुछ परिवर्तन के कारण बिक्री दर में 42.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016–17 में गत वर्ष की अपेक्षा केंद्रीय उत्पाद, वाहन कर आदि अनेक करों की वृद्धि दरें कम रहीं। 2012–14 की अवधि में अधिकांश करों के विकास पैटर्न में कोई निरंतरता नहीं रही है। वर्ष 2015–16 में माल एवं यात्री कर में लगभग 59 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2016–17 में इससे 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इससे हुई 1,932 करोड़ रु. की प्राप्ति 2014–15 में हुई 2006 करोड़ रु. से कम है। इस कर में पथ कर, यात्री कर और माल कर

से संग्रह, खपत, उपयोग या बिक्री हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर लगने वाला प्रवेश कर ओर अंतर्राज्य संचरण शुल्क (चुंगी) शामिल होता है। बिहार में इस कर से हाने वाला पूरा संग्रहण खपत हेतु स्थानीय क्षेत्रों में आने वाले मालों के प्रवेश से होता है। इसका संग्रहण बिहार स्थानीय क्षेत्र उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री अन्य वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के तहत और प्रबंधन राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा होता है। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर–कर राजस्व, दोनों स्त्रोतों का योगदान रहता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल में उसका हिस्सा शामिल रहा है। इसी प्रकार, गैर–कर राजस्व में राज्य सरकार के अपने गैर–कर राजस्व के साथ–साथ योजना ओर गैर–योजना प्रयोजनों के लिए केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैः (1) आयजनित कर जिसमें कृषि आय कर और व्यापार कर शामिल हैं, (2) संपत्ति तथा पूँजीगत अंतरणों पर कर जिसमें भूमि राजस्व, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा शहरी अचल संपदा कर शामिल होते हैं, और (3) वस्तु एवं सेवा कर जो निस्संदेह राज्य सरकार के अपने कर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। इसमें बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर, लेनदेन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, माल एवं यात्री कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर जैसे विविध कर शामिल होते हैं।

केंद्रीय करों के हिस्से में मुख्यतः आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर के हिस्से शामिल होते हैं जिनका संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पाँच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। राज्य सरकार के गैर–कर राजस्वों का संग्रहण सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है। इनमें विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध–व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों, उनसे प्राप्त लाभांश एवं मुनाफे, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। गैर–कर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

केन्द्र सरकार के अनुदान योजना और गैर–योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए होते हैं। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं के लिए, केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग–अलग अनुदान होते हैं। गैर–योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदान के साथ–साथ प्राकृतिक आपदा विषयक राहत और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

तालिका में 2012–13 से 2017–18 तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का तकरीबन 70 प्रतिशत भाग सहायता अनुदानों तथा करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से के जरिए केंद्र सरकार से आया। इनका हिस्सा 2012–13 राज्य सरकार के कुल राजस्व का 78 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 में केंन्द्रीय अंतरण राज्य सरकार के कुल राजस्व का 70 प्रतिशत था, 54 प्रतिशत केंद्रीय करों में राज्यांश का और 17 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का। उसी वर्ष में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्र 29 प्रतिशत था– 27 प्रतिशत कर राजस्व का और 2 प्रतिशत गैर–कर राजस्व का।

राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2012–13 के 6,172 करोड़ रु. से बढ़कर 2017–18 में 24,379 करोड़ रु. हो गया है और इसी अवधि में गैर–कर राजस्व 1,153 करोड़ रु. से बढ़कर 3,416 करोड़ रु.। हालांकि गैर–कर राजस्व में वृद्धि केंद्र सरकार से हुए कुछ विशेष अंतरणों के कारण हैं जैसे गैर–कर राजस्व वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत दोनों वर्षों में मिली ऋण राहत 2012–13 में 385 करोड़ रु. और 2013–14 में 770 करोड़ रु. के कारण काफी बढ़ा था। उस आयोग की कार्यविधि की समाप्ति पर ऋण राहत की समाप्ति के बाद 2014–15 में गैर–कर प्राप्ति में 684 करोड़ की अचानक गिरावट आई। वर्ष 2013–14 में मिली ऋण राहत में से 385 करोड़ की वापसी के कारण 2016–17 में गैर–कर राजस्व में और भी कमी आई। वर्ष 2016–17 के बजट में 'पेंशन आदि से अंशदन एवं वसूलियों' से संबंधित प्राप्तियों के बतौर 2,146 करोड़ रु. का अनुमान किया गया था। जिनकी पेंशन बकाया की प्रतिपूर्ति के बतौर झारखंड सरकार से अंतरण की आशा थी लेकिन उस वर्ष यह प्राप्त नहीं हुई। यह भी एकमुश्त विशेष अंतरण का ही मामला है।

केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों और करों में राज्य के हिस्से के साथ राज्य सरकार का कुल राजस्व 15. 9 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2012–13 के 32,981 करोड़ रु. से 2016–17 में 59,567

करोड़ रु. हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी कुल राजस्व प्राप्ति इस अवधि में 24.1 प्रतिशत की और भी उच्च वार्षिक दर से बढ़ी और कर राजस्व 27.4 प्रतिशत की और भी अधिक वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि में केन्द्र सरकार के अनुदान 6.6 प्रतिशत की अत्यंत सामान्य दर से बढ़े। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व की वृद्धि दर उसके राजस्व के अन्य घटकों की अपेक्षा अधिक होने के कारण कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 2012–13 के 22.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 में 29.2 प्रतिश हो गया।

तालिका : 1 राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017–18
I. राज्य का अपना राजस्व	7326	9760	10855	13502	17388	24379
क) कर राजस्व	6173	8090	9870	12612	16253	20963
ख) गैर–कर राजस्व	1153	1670	985	890	1135	3416
II. राज्य का अपना राजस्व	25655	25767	33677	37818	42178	55688
क) विभाज्य करों का हिस्सा	17693	18203	23978	27935	31900	37981
ख) सहायता अनुदान	7962	7564	9699	9883	10278	17707
III. राज्य का अपना राजस्व	32981	35527	44532	51320	59567	80066
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	22.2	27.5	24.2	26.3	29.2	30.4
स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार						

बिहार सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व बाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2012–13 से 2017–18 के बजट अनुमान तक इन करों से प्राप्तियों का विवरण तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका : 2 विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व

(करोड़ रू.)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017–18
विक्री कर, व्यापार कर आदि	3016	3839	4557	2265	8671	12324
माल एवं यात्री कर	1279	1613	2006	7476	1932	1193
राज्य उत्पाद शुल्क	679	1082	1523	828	2430	2680
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	716	998	1099	1981	2173	2628
वाहन कर	298	345	455	1480	673	800
भूमि राजस्व	102	124	139	569	205	205
विद्युत कर एवं शुल्क	68	67	65	167	103	66
अन्य वस्तु एवं सेवा कर/शुल्क	14	22	25	55	29	34
कृषि आय कर	0	0	0	30	0	33
योग	6173	8090	9870	12612	16253	20963
स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार						

बिहार सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्त्रोत बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर

प्राप्तियों में इन पाँचों करों का संयुक्त हिस्सा 98 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 में कुल कर प्राप्तियों में इनमें से अकेले बिक्री कर का हिस्सा 53.5 प्रतिशत था। उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (15 प्रतिशत), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (13.4 प्रतिशत) तथा माल एवं यात्री कर (11.9 प्रतिशत) का स्थान था। ये कर उच्च उत्फुल्लता वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। विगत कुछ वर्षों के दौरान कर राजस्व की संरचना में कई महत्वपूर्ण ढ़ांचागत बदलाव नहीं आया है। अपवाद 2015–16 था जब विभिन्न मदों में दरों में वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि के कारण बिक्री कर में अचानक वृद्धि हुई था। इसके साथ–साथ, माल एवं यात्री कर के हिस्से में तेज गिरावट भी आई थी। वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार ने अकेले बिक्री कर से 8,671 करोड़ रु. एकत्र किए।

केन्द्र की तुलना में राज्यों ने कर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। सन् 1980 के दशक के अंतिम वर्षो में राज्यों का कर–राजस्व जी०डी०पी० का 5.7 प्रतिशत रहा, जो अब बढ़कर लगभग 6 प्रतिशत हो गया है। केन्द्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी भी स्थिर बनी हुई है। इसके उलट गैर कर राजस्व प्रयोगकर्ता शुल्क+राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्ति में गिरावट आई। नब्बे के दशक में ऋण संबंधी देनदारियों तथा अन्य गैर–विकासात्मक खर्चो में बढ़ोत्तरी के कारण राज्यों का राजस्व व्यय और राजस्व घाटा बढ़ा है। इसके कारण राज्यों के योजनागत खर्चे पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मौजूदा योजनागत प्राप्त के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एक ऐसी वित्तीय एजेंसी के रूप में उभरी है, जो जनता से अलग–अलग तरीके से ऋण जुटाकर केन्द्र तथा राज्यों के स्तरों पर योजना खर्चों का वित्त–पोषण करती है।

उच्च विकास पर हासिल करने के लिए सभी मोरचों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोक स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण आदि मदों में सुधार के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए है। जहां तक बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, सड़को, रेल, यातायात, बदंरगाहों, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन तथा शहरी सुविधाओं पर खास ध्यान देना होगा। इसमें निजी निवेश की अहम भूमिका होगी राजकोषीय सुधारों का मुख्य जोर ऋण सेवाओं की अदायगी कम करने पर देना होगा। सार्वजनिक ऋणों को कम करके और राजस्व बढ़ाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कर–दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक। कर–आधार बढ़ाकर और कर वसूली को कारगर बनाकर ही राजस्व बढ़ाना श्रेयस्कर है। कुल राजस्व बढ़ाने के लिए (1) कर आधार बढ़ाना होगा (2) सभी गैर–प्राथमिकतावादी वस्तुओं पर उपभोक्ता शुल्क लगाना होगा (3) निजीकरण की दिशा में व्यापक और साहसिक कदम उठाने होगे।

निष्कर्ष

बिहार सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्त्रोत बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों में इन पाँचों करों का संयुक्त हिस्सा 98 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 में कुल कर प्राप्तियों में इनमें से अकेले बिक्री कर का हिस्सा 53.5 प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से वर्तमान समय में प्रत्यक्ष करों की वसूली में गिरावट आई। आर्थिक उदारीकरण के कारण कस्टम शुल्क में कमी आने से कर–संग्रह भी कम होने और आने वाले वर्षो में शुल्क दरें घटने की संभावना है ऐसी स्थिति में परोक्ष करों की वसूली में तेजी केन्द्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क की वसूली से ही आ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए कर राजस्व बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मूल्य आधारित कर लगाकर यह लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया गया।

संदर्भ श्रोतः

1. ए. के. अग्रवाल, कमॉडिटी टैक्सेज इन इण्डिया, चुँग पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2009, पृ. 89
2. एम. जी, गौरा, गाइड टू सैल्स टैक्स एक्ट 1948, नार्दन लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2016, पृ. 134
3. एस. एन. अग्रवाल, इण्डियन पब्लिक फाइनेन्स, 1967, बोरा एण्ड बोरा, बम्बई, 2017, पृ. 171
4. बी. पी. अदारकर, दि इण्डियन फिसकल पॉलिसी, इलाहाबाद, किताब महल, 2011, पृ. 216
5. बी. पी. गाँधी, सम एसपेक्ट्स ऑफ इण्डियन टैक्स स्ट्रक्चर : एन इकोनोमिक एनॉलिसिस, बोस एण्ड कम्पनी, बॉम्बे, 2015, पृ. 160